न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 17/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/19)

किशनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. रेशमी देवी पत्नि हरजीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 19 सरदारशहर जिला चूरू।
2. ग्राम पंचायत रातूसर जरिए संरपंच, ग्राम पंचायत तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री ओमप्रकाश चाण्डक – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2. श्री पवन सारण – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय **दिनांकः 06.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू के निर्णय दिनांक 14.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 रेशमीदेवी ने उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू में अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत रातूसर द्वारा किशनलाल के हक में नामान्तरण सं. 776 दिनांक 20.07.2007 को तस्दीक किये जाने बाबत पारित निर्णय व आदेश को अपास्त करने व उक्त बैनामा दिनांक 14.06.2007 के आधार पर उक्त सम्पूर्ण भूमि का इंतकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज कर तस्दीक करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2022 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण सं. 776 दिनांक 20.07.2007 को अपास्त कर विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2007 के आधार पर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सरदारशहर को प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट किशनलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तकरण में दुरूस्ती जेसा कोई प्रावधान कानून में नही होने एवम् ग्राम पंचायत या अदालत मातहत को नामान्तकरण में दुरूस्ती का कोई क्षेत्राधिकार नही है। बिना धारा 5 मियाद अधिनियम के लम्बी अवधि के मियाद बाहर प्रस्तुत अपील में विधि विरूद्व जाकर, जैर आदेश पारित किया गया। प्रथम अपील के अपील मीमो तथा बहस में अपीलान्ट (रेस्पोडेन्ट) ने कथन किया कि उसके द्वारा दिनांक 30.09.2019 को इन्तकाल दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु इन्तकाल दर्ज नही किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2019 पर प्रदत आदेश के विरूद्व चाराजोही करनी चाहिए। प्रकरण हाजा में प्रथम अपील पोषणीय नही थी। अपीलान्ट द्वारा कभी भी अपने हिस्से की भूमि का बैयनामा रेस्पोडेन्ट को नही किया गया। अपीलान्ट के हिस्से बाबत कथित बैयनामा फर्जी है, जिसमें रेस्पोडेन्ट को कोई हकूक हासिल नही होते है। काबिल साक्ष्य एवं नियमित वाद से तय होन वाले तथ्यो को नामान्तकरण की सरसरी कार्यवाही में तय करने में प्रथम अपील अदालत मे अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2022 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण सं. 776 बहाल रखा जावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उनके द्वारा जरिये बैनामा भूमि क्रय करने के पश्चात इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर रिपोर्ट ली गई है। अपीलान्ट विक्रय पत्र को फर्जी बता रहा है लेकिन विक्रय पत्र फर्जी केंसे है यह नही बता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर ने अपील को अन्दर मियाद मानते हुए नामान्तकरण सं. 776 दिनांक 20.07.2007 को अपास्त कर विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2007 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने हेतु आदेश प्रदान कर तहसीलदार सरदारशहर को रिमाण्ड

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया है। अधीनस्थ न्यायायाल द्वारा पारित आदेश सही है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 14.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमे अपीलान्ट का कथन है कि प्रथम अपील मियाद बाहर थी तथा अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 776 में संशोधन के आदेश नही दिये जा सकते है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रातूसर तहसील सरदारशहर के खं. नं. 820/625 की 25.19 बीधा भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण विक्रय पत्र के अनुरूप नही होने के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के द्वारा अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2007 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया है। इस प्रकार प्रकरण नामान्तकरण में संशोधन का न होकर गलत नामान्तकरण को निरस्त करने का है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 में कोई कानूनी त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।